उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :- श्री अमीलाल यादव R.A.S.

/2021

...सिंह पुत्र श्यामाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू

दादी

बनाम

1 मोहनराम पुत्र श्यामाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2 भंवरलाल पुत्र किशनाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3 गणेशाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4 जगदीश पुत्र किशनाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5 मघाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6 कमला पुत्री किशनाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7 सन्तु पुत्री किशनाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8 मैना पुत्री किशनाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
9 बिदु पुत्री स्व. रावताराम वल्द किशनाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर हाल C/. सुरजाराम पुत्र खेताराम जाट बिरड़ा निवासी परमेश्वरी देवी कॉलेज के पास बीदासर जिला चूरू
10 भागीरथराम पुत्र स्व. मुलाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
11 बजरंगलाल पुत्र स्व. मुलाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
12 रेवन्तराम पुत्र स्व. मुलाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
13 रूपाराम पुत्र स्व. मुलाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
14 भंवरी देवी पुत्री स्व. मुलाराम पत्नी हिरालाल जाति जाट निवासीनी वार्ड न. 1, बिजारणीया बास सुजानगढ़ तह. सुजानगढ़ जिला चूरू
15 किस्तुरी देवी पुत्री स्व. मुलाराम पत्नी हनुमानाराम जाति जाट निवासी 3rd E 52 व्यास कॉलोनी बीकानेर जिला बीकानेर
16 माली देवी पुत्री स्व. मुलाराम पत्नी सांवताराम जाति जाट निवासी सांरगसर तहसील बीदासर चूरू
17 पुनमदेवी पुत्री स्व. मुलाराम पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासीनी चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू
18 सीतादेवी पुत्री स्व. मुलाराम पत्नी सांवरमल जाति जाट निवासी चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू
19 राधा देवी पुत्री स्व. मुलाराम पत्नी श्री रामनिवास पिलानिया जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
20 गीतादेवी पुत्री स्व. मुलाराम पत्नी मुलाराम जाति जाट निवासी ग्राम बादेड़ तह. लाडनू जिला नागौर
21 सन्तोष पत्नी भागीरथराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
22 गोमती पत्नी बजरंगलाल जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
23 मंजु पत्नी रेवन्तराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
24 छोटू देवी पत्नी गणेशाराम जाति जाट गोदारा निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
25 शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू
26 शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा साण्डवा तह. बीदासर जिला चूरू
27 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार, तहसील कार्यालय बीदासर
28 उप पंजीयक महो., उप पंजीयक कार्यालय बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

लगातार.....2 पर

... किशनाराम पुत्र श्यामाराम जाति जाट गोदारा निवासी ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादी

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती हेतू हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :-

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट

2 प्रतिवादी स. 1 ता 7,10, 12, 13 ता 24 श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट

3 प्रतिवादी स. 27 – पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :-29/11/2024

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 24 एवं गौणप्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 267 रकबा 10.6862 (42-05 बीघा), खसरा नम्बर 321 रकबा 9.9148 हैक्टेयर (39-04बीघा), खसरा नम्बर 439 रकबा 45.9318 हैक्टेयर (181-12 बीघा) कुल खसरे 3 कुल रकबा 66.5328 हैक्टेयर (263-01 बीघा) वाके रोही सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित चला आ रहा है जिसमें वादी शेरसिंह का 1/4 हिस्सा अविभाजित है। उपरोक्त खसराजात की भूमि जिसे आगे दावा में वादगत खेतों के नाम से पुकारा गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण का खान पान लेन देन, रहन-सहन सब अलग अलग है तथा वादगत खेतों को भी अलग अलग ही काश्त करते आ रहे है तथा वादी व प्रतिवादीगण व गौण प्रतिवादी ने आपसी तौर पर विभाजन मौखिक रूप से किया हुआ है वादी अपने हिस्सा पांती की भूमि को अर्सा करीब 50 वर्ष से अपने हिस्सा पांती अनुसार अलग सींव कायम करके काश्त कर रहा है। विवादित खेत खसरान् में से खसरा नम्बर 439 रकबा 45.9318 हैक्टेयर (181-12बीघा) में वादी शेरसिंह का 1/4 हिस्सा है जो वर्षों पूर्व किये जुबानी भाई बन्ट के मुताबिक उक्त खसरा में दक्षिणी पश्चिमी पाखी का 45-08 बीघा कब्जा काश्त में है जिसमें मुझ वादी की पुख्ता पक्की रिहायसी बारहमासी ढाणी बनी हुई है, तीन पक्के कुण्ड बने हुए है, मुझ वादी के नाम बिजली कनेक्शन लिया हुआ है, मुझ वादी की उक्त बारहमासी ढाणी अर्सा करीब 50 वर्ष पुरानी है तथा कई मकानात नये भी तामीर करवाये हुए है, हर वर्ष और शादी ब्याह के मौको पर रिपेयरिंग और रंग रोगन करवाया जाता है मुझ वादी की हिस्सा भूमि के पुख्ता सीवं कायम है। मुझ वादी द्वारा अपनी हिस्सा भूमि में ट्यूबवैल बनाया हुआ है सिंचित फसल काश्त की जाती है, वादी ने अपने खेत हिस्सा में लगभग 500 फलदार पेड़ लगा रखे है। वादी ने अपने खेत हिस्सा पर सिंचाई हेतू ड्रिप सिस्टम राजकीय अनुदान से प्राप्त कर रखा है। मुझ वादी के पूर्वी तरफ चिपता गौण प्रतिवादी स. 29 की खातेदारी हिस्सा भूमि है। उतरादी आथुणी पाखी की भूमि रेवन्तराम, रूपाराम आदि के हिस्सा पांती की है जिसमें से होकर आवागमन का रास्ता मुझ वादी व गौण प्रतिवादी स. 29 के हिस्सा में प्रवेश करता है। खसरे में उतरी पूर्वी तरफ का हिस्सा प्रति. स. 1 मोहनराम आदि के कब्जा काश्त में है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 267 में उतरादी पाखी की 1/2 हिस्सा भूमि गौण प्रतिवादी स. 1 किशनाराम के कब्जा काश्त में तथा दक्षिणी तरफ की 1/2 दो हिस्सा भूमि मोहनराम आदि के कब्जा काश्त में है। खसरा नम्बर 321 की

लगातार........3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

पूरी पाखी की आधी भूमि भागीरथ आदि (मुलाराम के वारिसान) के कब्जा काश्त में तथा आथुणी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि मुझ वादी के कब्जा काश्त में है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वर्षो पूर्व खातेदारी भूमि हिस्सा का मौका पर विभाजन कर अपनी अपनी पुख्ता पक्की सींवें कायम कर रखी है। वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 24 व गौण प्रति. स. 29 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 24 वादगत खेतों की सींवों को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेगें, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 24 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है वादी शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 28-01-2023 को निवेदन किया कि वादगत खेतों की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देवें तथा मुझ वादी के कब्जा काश्त में दखत अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 24 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेत में पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेत का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है जब तब प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 24 पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू-माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने में वादी असमर्थ है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेतों का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण, बैय आदि नहीं करें ना ही वादी के हक हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना वादी को उसके हक हिस्सा की भूमि से जबरन बैदखल करें। वादगत खेत खसरा नम्बर 267 रकबा 10.6862 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 9.9148 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 439 रकबा 45.9318 हैक्टेयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 66.5328 हैक्टेयर वाके रोही सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू का संयुक्त खातेदार एवं सयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को सतत वादाधार प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण द्वारा 28-01-2023 को ऐलानिया धमकी देने व बन्टवारा करने से साफ इन्कार होने से वादी को वाद हैतुक प्राप्त है। राजस्व वाद वादी बहक प्रतिवादीगण के मध्य नीजि सम्पति होने एवं राज्य हित के विपरीत न होने एवं राज्य हित निहित न होने से प्रतिवादीगण सख्या 27 को सी. पी. सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है फिर भी कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रतिवादीगण की हरकते वादी को उपरोक्त विवादित खेत खसरान् में प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी की आड़ में वादी को जबरन बैदखल करने की कुचेष्टा में है जिसके लिए प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 28-1-2023 को ऐलानिया धमकी दी है कि खेतों में जहां आपका वर्षो पुराना बन्टवारा के अनुसार हिस्सा कायम है उससे बैदखल करेगे इस कारण वादी को वाद हैतुक प्राप्त है दावा अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का हो चला है जो धारा 80(2) के नाटिस से छूट लेकर प्रस्तुत किया जा रहा है।

लगातार....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

...का वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ती का है तथा वादगत खेत वाके रोही सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय को हर प्रकार से प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा की वादगत खेत खसरा नम्बर 267 रकबा 10.6862 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 9.9148 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 439 रकबा 45.9318 हैक्टेयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 66.5328 हैक्टेयर वाके रोही सारंगसर में मुझ वादी का हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर मुझ वादी के हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पृथक पृथक दर्ज की जाकर लगान का विभाजन किया जावें।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7,10, 12, 13 ता 24 की और से श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा मय जय जवाब दावा प्रस्तुत किया। बाकी प्रतिवादीगण की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी स. 27 सरकार की और से पैरोकार राज ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया। उपरोक्त वाद में किसी भी पक्ष द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्य वादी में वादी शेरसिंह ने सशपथ बयान प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से वाद को नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। लिहाजा दावा वादी डिकी किये जाने योग्य है जिसको डिकी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

अतः उपरोक्त वाद इस प्रकार प्रारम्भिक डिकी किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 267 रकबा 10. 6862 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 9.9148 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 439 रकबा 45.9318 हैक्टेयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 66.5328 हैक्टेयर वाके रोही सारंगसर का वादी के कब्जा काश्त एवं हिस्सा पांती की भूमि का पृथक तथा प्रतिवादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण के हिस्सा का मुताबिक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के खातेदारी का अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। इस प्रकार प्रारम्भिक डिकी जारी हो। प्रारम्भिक डिकी जारी होकर विभाजन प्रस्ताव हेतू तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे साथ ही तहसीलदार बीदासर विभाजन किये जा रहे खेत की वर्तमान जमाबन्दी विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 28-11-2024 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

अमीलाल यादव
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रारम्भिक डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix "D-1")

अज अदालत ...श्रीमान उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम.....बीदासर जिला चूरू .... व इजलास...........पीठासीन अधिकारी.......... श्री अमीलाल यादव R.A.S.

शेरसिंह बनाम मोहनराम आदि

दावा बाबत :- विभाजन, चिर निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर..... 17/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू ..... हाजरी . श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट मिनजानिब मुदई व ..श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी.......... व पैरोकार राज. ....मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 267 रकबा 10.6862 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 9.9148 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 439 रकबा 45.9318 हैक्टेयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 66.5328 हैक्टेयर वाके रोही सारंगसर मे वादी के कब्जा काश्त एवं प्रतिवादीगण, गौण प्रतिवादी के हिस्सा का मुताबिक हिस्सा एवं कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी का अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। प्रारम्भिक डिकी जारी होकर विभाजन प्रस्ताव हेतू तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। साथ ही तहसीलदार बीदासर विभाजन किये जा रहे खेत की वर्तमान जमाबन्दी विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करे।

फीस ......—...... मुवलिग..........—.............बाबत ....—.............खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....—..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....—........ ....—..........को अदा करें।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 11 2024

उपखण्ड अधिकारी
दस्तखत
ओहदा बीदासर (चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)